न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 41/2019 **RCMS 2019/00090**

प्रार्थी

1. रामनिवास पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार भूमिधारी कुचामनसिटी।
2. सोहनीदेवी पत्नी शिवकरण जाति जाट निवासी मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते भू–राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकित अशुद्व अंकन को शुद्व करने बाबत।

उपस्थित :– श्री रामनिवास अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री टोडाराम अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 13/3/2020

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कर सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मांगलोदी पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 128 रकबा 1.92 हैक्टर में प्रार्थी के हक हिस्से की 1/2 हिस्से की कृषि भूमि आई हुई है, प्रार्थी का वास्तविक नाम रामनिवास है ओर जन्म तिथि दिनॉक 10.9.1994 है प्रार्थी की सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज तथा आधार कार्ड मतदाता सूची में भी सही एवं वास्तविक नाम रामनिवास दर्ज है, प्रार्थी ने बालिग होने के बाद उक्त खसरा नम्बर 128 में प्रार्थी ने अपने नाबालिग होने का अंकन राजस्व अधिकार अभिलेख से हटाने के लिए तहसील कुचामनसिटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया तब प्रार्थी को तहसीलदार जी से प्रार्थी के सही नाम की जगह राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम निवास की प्रविष्टि का अंकन हो गया, प्रार्थी खसरा नम्बर 128 रकबा 1.92 हैक्टर की आराजी में दर्ज अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व करवाने हेतु प्रभावित हितबद्व पक्षकार है,प्रार्थी ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की प्रविष्टि प्रार्थी की नाबालिग अवस्था के कारण प्रार्थी अपने शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज पटवारी के समक्ष प्रस्तुत नही कर सका था इस वजह से प्रार्थी के सही नाम रामनिवास के स्थान पर निवास नाम का अशुद्व अंकन हो गया है जबकि किसी अशुद्व प्रविष्टि के सम्बन्ध में भूमि अभिलेख अधिकारी राजस्व अधिकार अभिलेख/रजिस्टर में लिपिकीय त्रुटिवश की गई ऐसी अशुद्व प्रविष्टियों को किसी भी समय शुद्व करने के प्रावधान है, प्रार्थी ने सम्वत 2075–2078 की नकल प्राप्त कर तहसीलदार कुचामनसिटी के समक्ष नाबालिग का अंकन हटवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जब प्रार्थी को इसकी जानकारी हुई, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 128 रकबा 1.92 है[illegible] अधिकार अभिलेख/रजिस्टर में खातेदार काश्तकार रामनिवास का लिपिकीय त्रुटि[illegible] नाम के अशुद्व अंकन को शुद्व किया जाकर खातेदार रामनिवास पुत्र [illegible] के आदेश जारी फरमाकर तहसीलदार कुचामनसिटी को आदे[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को ज[illegible] नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इकबालिया जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, आधार कार्ड सं.

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

531669614894 की छाया प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक–तालिका क्रमांक 0646229 नामांकन 0654769 की छाया प्रति, प्रस्तुत की है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, जमाबन्दी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 128 रकबा 1.92 हैक्टर में निवास पुत्र शिवकरण हिस्सा–1/2 जाति–जाट सा. देह खातेदार अ.विव.नाबालिक निवास संरक्षक माता सोहनीदेवी राहिन हिस्सा–1/2(पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी, सोहनी पत्नी शिवकरण हिस्सा–1/2 जाति–जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/2(पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी दर्ज है, आधार कार्ड सं. 531669614894 की छाया प्रति में रामनिवास के पिता का नाम शिवकरण माता का नाम अंकित है , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक–तालिका क्रमांक 0646229 नामांकन 0654769 की छाया प्रति में रामनिवास के पिता का नाम शिवकरणराम माता का नाम सोहनी देवी अंकित है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज रहती आई है तथा शिवकरण की फौतगी नामान्तरकरण में निवास नाम अंकित कर दिया है जबकि शिक्षा प्रमाण–पत्र आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम रामनिवास अंकित है निवास का सही नाम रामनिवास होने की पुष्टि प्रस्तुत इकबाल जवाब, शिक्षा प्रमाण–पत्र आधार कार्ड इत्यादि से होती है, इस प्रकार प्रार्थी का नाम निवास के स्थान पर रामनिवास शुद्व किया जाना न्यायोचित है, अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 128 रकबा 1.92 में अंकित प्रविष्टि **निवास** पुत्र शिवकरण हिस्सा–1/2 जाति–जाट सा. देह खातेदार अ.विव.नाबालिक निवास संरक्षक माता सोहनीदेवी राहिन हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी के स्थान पर **रामनिवास** पुत्र शिवकरण हिस्सा–1/2 जाति–जाट सा. देह खातेदार अ.विव.नाबालिक निवास संरक्षक माता सोहनीदेवी राहिन हिस्सा–1/2(पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष खाता बदूस्तूर रहेगा तथा रामनिवास के हिस्से की भूमि पूर्ववत ही बैंक के रहन दर्ज रहेगी, उपरोक्तानुसार अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व किये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को दिये जाते है, तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 13/3/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.14 11:34:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: